

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
संख्या- 01/2018/ए-522/सात-न्याय-8-17-24-28-88
लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2017

नोटिस

राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में अधिकरण के समक्ष शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सभी 13 प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को आबद्ध किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 09-01-2018, 10-01-2018 एवं 11-01-2018 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से साक्षात्कार आयोजित किया गया है।

उपरोक्तानुसार आपको सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने बायोडाटा, जन्म प्रमाण-पत्र एवं एडवोकेट पंजीयन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ अपनी परफारमेन्स रिपोर्ट-यथा विगत 07 वर्षों के दौरान आप द्वारा कितने मुकदमों में पैरवी करते हुए शासन के पक्ष में निर्णीत कराये गए महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण के साथ निर्धारित तिथि/समय/स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें। इस संबंध में अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र/नोटिस पृथक से जारी किये गये हैं।

यदि 04-01-2018 तक उक्त नोटिस प्राप्त न हो तो कृपया दिनांक 05-01-2018 को कार्यालय समय में निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :-

न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
कक्ष संख्या-36, द्वितीय तल
बहुखण्डी भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय
दूरभाष नम्बर-0522-2213916

(ओम प्रकाश)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।